Phone & Fax : 0551-2273937

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या
Ref. No. 3319/क्षे0का0 आ0पत्रा0-140/2020/2 दिनांक Dated 03-3-2020

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र),
देवरिया।

विषयः **भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेश लि0, (भारत सरकार का उपक्रम) गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय गोरखपुर के पत्रांक सं0 GKP/LOI/NRO/ADV18/2374/300038269, दिनांक 14.08.2019 द्वारा ग्राम– सिरसियां, पट्टी हुसैन, तहसील– सदर, जनपद– देवरिया के खेसरा सं0– 166, (डीजल/पेट्रोल पम्प) पर रिटेट आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0– शस्त्र–2019 दिनांक 03.10.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेश लि0, (भारत सरकार का उपक्रम) गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय गोरखपुर के पत्रांक सं0 GKP/LOI/NRO/ADV18/2374/300038269, दिनांक 14.08.2019 द्वारा ग्राम– सिरसियां, पट्टी हुसैन, तहसील– सदर, जनपद– देवरिया के खेसरा सं0– 166, (डीजल/पेट्रोल पम्प) पर रिटेट आउटलेट के उपभोक्ता पम्प के स्थापित किये जाने हेतु मानचित्र की प्रति संलग्न करते हुए अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धी आख्या चाही गयी है। उक्त के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि आवेदन पत्र में जॉच के उपरान्त पत्रांक सं0 GKP/LOI/NRO/ADV18/2374/300038269, दिनांक 14.08. 2019 द्वारा ग्राम– सिरसियां, पट्टी हुसैन, तहसील– सदर, जनपद– देवरिया के खेसरा सं0– 166, (डीजल/पेट्रोल पम्प) पर रिटेट आउटलेट के उपभोक्ता पम्प के स्थापित किये जाने हेतु राज्य बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तो के साथ पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टिकोण से संस्तुति की जाती है।

1. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना इस प्रकार से किया जाये, जिससे की आस–पास के पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
2. पेट्रोल पम्प. हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू–भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।
3. पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधीक ज्वलनशील होने के कारण जान माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निसमन विभाग के गाईड लाईन के अनुसार स्थापित किया जाये तथा आस–पास आबादी विकसित होने पर रोक लगायी जाये।
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्रविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
5. घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप जनित होने वाले बहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की व्यवस्था स्थापित की जाये।
6. पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये।

Vikas Srivastava
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Constituted Attorney
08/10/20

petrol pump inspection Deoria Com-2

महादेव झारखण्डी, आवास विकास कालोनी, देवरिया रोड, कूड़ाघाट, गोरखपुर-273 008
MAHADEV JHARKHANDI, AVAS VIKAS COLONY, DEORIA ROAD, KUNRAGHAT, GORAKHPUR-273 008
E-mail : rogorakhpur@uppcb.com

7. पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बो प्रेषित किया जाये।

8. पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्डस एण्ड अदर वेस्ट्स (मैनेजमेन्ट एण्ड ट्रान्स बाउन्ड्री मूवमेन्टस) रूल 201 तथा मैन्युफेक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोट आफ हैजार्ड्स केमिकल्स रूल, 1989 एवं पब्लिक लाईबिल इन्श्योरेन्स एक्ट 1991 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

9. पेट्रोल पम्प द्वारा जिला प्रशासन एवं अन्य सम्बन्धीत विभागो से लाईसेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

10. पेट्रोल पम्प द्वारा एक अदद 15 किलोलीटर पेट्रोल (एम.एस.) एक अदद 20 किलोलीटर डीजल ऑयल (एच.एस.डी.) के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।

11. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये।

12. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्डीकेटर लगाया जाये।

13. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल का भू–प्रयोग 143–जेड.ए. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर भू–प्रयोग प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये।

14. पेट्रोल पम्प द्वारा सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी से आन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर छः माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

15. पेट्रोल पम्प की स्थापना भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0, द्वारा प्रदत्त मैप के ले–आउट प्लान के अनुसार की जाये।

16. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जाये।

17. पेट्रोल पम्प द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु डी0 जी0 सेट की स्थापना किये जाने की दशा में ध्वनि प्रदूषण की रोक–थाम हेतु कैनोपी/एकास्टिक इन्क्लोजर व साइलेन्सर की व्यवस्था स्थापित करने के साथ गैसीय उर्त्सजन हेतु डी0जी0 सेट के एक्झास्ट पर निकटतम भवन छत से 0.2 √के.बी.ए. मीटर ऊँची चिमनी स्थापित किया जाये।

18. पेट्रोल पम्प पर आने वाले वाहनों के पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि मार्ग का सामान्य यातायात बाधित न हो।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

Vikas Srivastava
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Constituted Attorney
08/10/20